न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निजामुदीन बनाम मुस्तकीब वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2025	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढ़ा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अत प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.09.2025 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख0 न0 151/1274 रकबा 0.2200है0 वाके ग्राम दल्लनग्राम तहसील खैरथल में विवादित आराजी से वादीगण एवं तरतीबी प्रति0 को बेदखल ना करे, विवादित आराजी पर कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करे एवं अबट आराजी पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का नवीन निर्माण नहीं करे, दीगर व्यक्ति को रहन,बय,लिज,हिबा आदि से मुन्तकिल न करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 08.09.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)	

प्रार्थी नकल [illegible] पेश हुई। प्रार्थना पत्र का [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] किया जा चुका है। अत: प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किया जाता है। [illegible]

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा

निजामुदीन
दि.3 [illegible]